



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

हिंदी अनुवाद

सुविधा संख्या 03/2018

शिलांग दिनांक 9वीं अप्रैल, 2018

विषय- सीमा शुल्क उगाही और भुगतान में असुविधा हेतु बैंकिंग व्यवस्था -संबंधी।

यह सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए है कि प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड, नई दिल्ली ने भारत के एस.बी.आई, पाठशाला शाखा, जिला, बरपेटा (असम) (बीएसआर कोड- 0002099) को सीमा शुल्क उगाही के लिए भौतिक/इडीआइ व्यवस्था के तहत थल सीमा चौकी, कमरद्वीसा (रंगापानी)(स्थान कोड- INPBLB) असम जो की सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय शिलांग के अधीन है को प्राधिकृत किया है।

ये बैंकिंग व्यवस्था इस सुविधा को जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा।

(बंदना देवरी)

आयुक्त

स्पीड पोस्ट

सी.सं. VIII(48)12/CUS/TECH/2011/ 5573-92(N)

दिनांक-

9 APR 2018

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित :

1. मुख्य आयुक्त सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क शिलांग क्षेत्र, शिलांग (प्रधान सीसीए ज्ञापन दिनांक 04/04/18 की प्रति संलग्न)
2. श्री मनोज सेठी, लेखा मुख्य नियंत्रक सीबीइसी, प्रधान सीबीइसी, का कार्यालय ए.जी.सी.आर. भवन पहली मंजिल आइ.पी. इस्टेट नई दिल्ली - 110002
- 3 उपमहाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेखा विभाग, नयी प्रशासनिक भवन पांचवी मंजिल सेक्टर .11 सीबीडी बेलपुर प्लॉट नंबर 8,9, एवं 10 नवी मुंबई - 400614 (प्रधान सीसीए ज्ञापन दिनांक- 04/04/18 की प्रति संलग्न)
- 4 सहायक महाप्रबंधक सरकारी बैंकिंग इकाई पांचवी मंजिल, ब्लॉक - B, स्थानीय प्रधान कार्यालय, एन इ सर्कल, जी.एस .रोड, पोस्ट ऑफिस - असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी- 781006(प्रधान सीसीए, ज्ञापन दिनांक -04.04.18 प्रति संलग्न)
- 5 सहायक महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रशासनिक कार्यालय, शिलांग (प्रधान सीसीए, ज्ञापन दिनांक 04/04/18 प्रति संलग्न)
- 6 सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पाठशाला शाखा, जिला बरपेटा(असम)(प्रधान सीसीए ज्ञापन दिनांक 04/04/18 प्रति संलग्न )
- 7 संयुक्त महा निदेशक डीजीएफटी, आर .जी. बरूआ रोड, गुवाहाटी-781024
- 8 वेतन एवं लेखा अधिकारी, जीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग(प्रधान सीसीए, ज्ञापन दिनांक 04/04/18 प्रति संलग्न)
- 9 सहायक मुख्य लेखा अधिकारी, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग (प्रधान सीसीए, ज्ञापन दिनांक- 04/04/18 की प्रति संलग्न)
- 10 उपआयुक्त/सहायक आयुक्त, अगरतला, आइजोल, धुबरी, डिमापुर, गुवाहाटी, इम्फाल, करीमगंज, शिलांग इस सुविधा को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी निर्यात आयात संघों सीमा शुल्क दलालों के सूचना में लाने का अनुरोध किया गया है।( प्रधान सीसीए ज्ञापन दिनांक 04/04/18 प्रति संलग्न )
- 11 अधीक्षक, कमरद्वीसा (रंगापानी) एलसीएस (प्रधान सीसीए, ज्ञापन दिनांक- 04/04/18 की प्रति संलग्न)
12. अधीक्षक, कंप्यूटर शाखा सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग आयुक्त वेबसाइट पर इस सुविधा की विषय वस्तु को अपलोड करें।
13. गार्ड फाइल

श. चौधरी

(शुभदीप चौधरी)

अधीक्षक (तकनीकी)

अनुबंध 'क' सुविधा संख्या 07/2017 दिनांक 14/08/2017

निर्यात कंटेनर के सेल्फ सीलिंग हेतु एक बार अनुमोदन के लिए आवेदन

सेवा में,

अधीक्षक,

.....

.....

महोदय,

सुविधा संख्या 2017 दिनांक 14.08.17 के सन्दर्भ में मैं / हम इस अंतरंग में सेल्फ सीलिंग के रिपोर्ट में दिए गए सुविधा का लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। इनका विवरण नीचे दिए गए हैं-

- 1) निर्यातक का नाम एवं आइईसी सं./पैन सं.
- 2) जीएसटीआइएन
- 3) परिसर का पता जहां से स्वयं मुद्रण किया गया
- 4) फोन /फैक्स/ ईमेल
- 5) वर्तमान गतिविधियां
- 6) कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया अगर कोई हो
- 7) परिसर के स्वामित्व / पट्टा किराये अनुबंध को साबित करने वाले दस्तावेजों की प्रति
- 8) निदेशक का नाम आधार एवं पते के साथ

भवदीय

अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पता

अनुबंध 'ख' सुविधा संख्या 07/2017 दिनांक 14/08/2017

अधिकृत व्यक्ति के सेल्फ सीलिंग की सूची  
(प्रतिलिपि में)

- 1) निर्यातक का नाम एवं पता
- 2) आइ. इ कोड/पैन
- 3) जीएसटीआइएन
- 4) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण

क्रम सं.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आवासीय पते के साथ नाम(पदनाम)	निर्यातक द्वारा अनुप्रमाणित पासपोर्ट फोटो	आधार संख्या	नमूना हस्ताक्षर(1)	नमूना हस्ताक्षर(2)
1					
2					
3					

मैं यह दायित्व लेता हूँ कि अगर किसी भी विचलन/ अपराध का पता चला है और यदि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लापता /फरार है तो मुझे इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा जाएगा।

हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाले

व्यक्ति का नाम एवं पदनाम

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

- 1 वह संस्था का स्थायी कर्मचारी होना चाहिए।
- 2 उसे सभी बैंक खाता संख्या सहित पूर्ण बायो डेटा एकाउंट सं.,आधार सं.,आवासीय पता और पहचान पत्र का सबूत देना होगा।
- 3 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मालिक /साझेदार प्रबंध निदेशक या निर्यात कंपनी सचिव या ऐसे मालिक द्वारा अधिकृत कामकाजी या निदेशक मंडल का व्यक्ति हो,।

अनुबंध संख्या 'ग' सुविधा सं 07/2017 दिनांक 14.08.2017

सेल्फ सीलिंग कंटेनर के लिए परीक्षा रिपोर्ट

- 1 निर्यातक का नाम
- 2 (a) आइडसी सं  
(b) शाखा कोड  
(c) बीआइएन. (निर्यातक का पैन आधारित व्यापार पहचान संख्या)  
(d) जीएसटीआइएन
- 3 कारखाना / स्टाफिंग का स्थान (पूरा पता)
- 4 परीक्षण/भरने का तारीख
- 5 भरने का समय  
समाप्त होने का समय  
भरने का समय:
- 6 मात्रा के साथ माल का विवरण
- 7 अंतिम गंतव्य का देश
- 8 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पद
- 9 निर्यात चालान का विवरण  
(a) जीएसटी चालान  
(b) निर्यात चालान की संख्या  
(c) पैकेजों की कुल संख्या  
(d) विदेश में मालवाहक का नाम एवं पता
- 10 निर्यात चालान / जीएसटी चालान में प्रस्तुत किए गए विवरणों के अनुसार हां/नहीं

माल की मात्रा और उनके मूल्य की वस्तुओं का विवरण है

10 कंटेनर का व्यौरा

कंटेनर का संख्या	आकार	सील संख्या	कंटेनर में भरे पैकेजों की सं.
(1)	(2)	(3)	(4)

मैंने माल की जांच की है और यह घोषणा के अनुसार यह पाया जाता है। माल कंटेनर में भरे हुए हैं और कंटेनर को मेरी निगरानी के तहत मुहर से सील कर दिया गया था। सील सं..... है और सील का रंग..... है। मैं वस्तुओं की गुणवत्ता या मात्रा में किसी भी अंतर के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ।

अधिकृत निर्यातक हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम  
स्टाम्प

अनुबंध संख्या 'डी' सुविधा सं.07/2017 दिनांक 14.08.2017  
निर्यात कंटेनरों का सेल्फ सीलिंग के शिपमेंट / परिसर हेतु आवेदन

सेवा में,

अधीक्षक,

.....

.....

महोदय,

सुविधा सं./2017, दिनांक 14.08.2017 के संदर्भ में मैं/ हम निर्यात कार्यक्रम की सूचना, जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, जिन परिसर को प्रस्तावित किया है उसका विवरण नीचे दिए गए हैं-

- 1) एलओएसएसपी संख्या एवं दिनांक-
- 2) परिसर का पता जहां से सेल्फ सीलिंग हुआ-
- 3) भरे और निर्यात सामानों का विवरण-
- 4) जहां प्रोत्साहन का दावा किया जा रहा हो -

भवदीय

अधिकृत व्यक्ति का  
नाम एवं पदनाम